प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 23.09.2019

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए **290 भादवि में 63 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 14 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने पूर्व में हुई अपराध गोष्ठी में जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 22.09.2019 को जनपद के थानों ने 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राहुल सोनकर पुत्र राम सुरेश नि0 महुआडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–397/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दिनेश कुमार कोरी पुत्र पित्तर नि0 बाबा मनोहर दास पुरवा भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–361/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बुधई पुत्र खेलावन नि0 पलटीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–365/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

04. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बदरू पुत्र जोखू नि0 खलिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–340/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया।

दुष्कर्म करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा, अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित आरोपी अभियुक्त–01. अनिरूद्ध पुत्र राम प्रकाश नि0 विसनागा भटपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा 02. बगउ उर्फ देवनरायण पाण्डेय पुत्र सीताराम नि0 सहियापुर सरायजरगर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को थाना को0 देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0–178/19, धारा 376डी.504.506 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों द्वारा थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ जबरन दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में पीड़िता ने थाना को0 देहात पर उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 देहात पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.09.19 को मुखबिर की सूचना पर रामनगर तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–30 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।